

बेल सं० 6479/2023

आदेश

11-08-2023

अभियुक्त सुनील द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र वाद संख्या-22680/21, सरकार बनाम सुनील आदि अन्तर्गत धारा- 498A, 323 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रति० अधिनियम थाना उसहैत जिला बदायूँ में प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त आत्मसमर्पण के आधार पर न्यायालय में उपस्थित है।

मध्यस्थता केन्द्र की आख्या पत्रावली पर संलग्न है। जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता असफल रही है। अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया।

अतः पत्रावली के अवलोकन एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त को द्वारा अंकन पच्चीस हजार रुपये का पी.बी. व इसी धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

(अर्जित वर्मा)

सिविल जज(जू०डि०)/त्वरित न्यायालय

(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),

बदायूँ।